न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

Az/01

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 235/2023

235/23

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. बलजीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 17.07.2023

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय-- **दिनांक : 17.07.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 18 व 19 बारानी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। परन्तु सिंचाई विभाग में उक्त भूमि नहरी है। मौके पर पूरी जमीन पर पानी लग रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 498 दिनांक 07.12.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 1990 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 67 का पूर्ण रकबा नहर से सिंचित है एंव जमाबन्दी सम्वत 2013 ता 2016 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 18 की 0.253 हैक्टेयर व किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टेयर भूमि सन्ता सिंह पुत्र असुड सिंह जाति जटसिख के नाम खुदकाश्त दर्ज है। इस प्रकार उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 में पूर्व का आवंटन है। अतः राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक 4-7(7)उप-2005/ जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूसी खातेदारों से अन्तरराशि देय नहीं है। इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 18 व 19 की अन्तरराशि वसूल योग्य नहीं है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 53 की प्रति, चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2013 ता 16 के खाता संख्या 79 की प्रति, चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 1990 के खाता संख्या 2 की प्रति, पानी की पर्चियां, चक प्लान की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि प्रार्थी द्वारा चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 18 व 19 बारानी से नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 1990 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 67 का पूर्ण रकबा नहर से सिंचित है एंव जमाबन्दी सम्वत 2013 ता 2016 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 18 की 0.253 हैक्टेयर व किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टेयर भूमि सन्ता सिंह पुत्र असुड सिंह जाति जटसिख के नाम खुदकाश्त

(राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

A2/52

235/23

दर्ज है। इस प्रकार उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 में पूर्व का आवंटन है। अतः राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक 4-7(7)उप-2005/ जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूसी खातेदारों से अन्तरराशि देय नहीं है। इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 18 व 19 की अन्तरराशि वसूल योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 53/53 के मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 18 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 19 की 0.253 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

बलजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर **235/2023**

निर्णय दिनांक :- 17.07.2023

Br/03

235/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 53/53 के मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 18 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 19 की 0.253 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 17.07.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 17.07.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/398

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर